विधानसभा / महत्वपूर्ण

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 110 / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 01 /07/ 2025

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–सरगुजा
छत्तीसगढ़

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 996 अतारांकित द्वारा श्री रामकुमार टोप्पो, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

----00----

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 996 अतारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर **'यूनिकोड फॉन्ट'** में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 03.07.2025 तक** ई–मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 111 / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 01 /07/ 2025

प्रतिलिपि :–

खाद्य अधिकारी, जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर, आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **11/07/2025**

वर्ग : **5** सदन में उत्तर देने का दिनांक : **18/07/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत संचालित पीडीएस केन्द्र**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **006**) **श्रीरामकुमार टोप्पो**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में जनवरी, 2022 से दिसंबर, 2024 तक कितने व किस-किस प्रकार के राशनकार्डधारी हैं? ब्लॉकवार जानकारी प्रदान करें? (ख) पीडीएस केन्द्रों में चावल व अन्य सामग्री के उठाव हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गयी है? प्रत्येक सामग्री के उठाव के लिए क्या कोई तिथि निश्चित है? अगर हाँ तो कौन सी तिथि, किन सामग्री के उठाव के लिए तय की गयी है? (ग) जिनका राशन कार्ड " आधार क्रमांक " से अपडेट नहीं है या किसी कारणवश मोबाइल ओटीपी की जानकारी नहीं है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गयी है? क्या इस प्रक्रिया को लचीला बनाया जा सकता है?

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 01/07/2025 11:26:02 |

Remark :

कले. सरगुजा